संख्या-14/2024/449ई-2/तेरह-2024-80296

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 04 जून,2024

विषयः-मेसर्स एपमिडा फार्मास्यूटिकल्सप्रा.लि., खसरा नं. 331, ग्राम-चिकना, शाहबाद रोड, रामपुर द्वारा Ofloxacin, Cloxaxillin, Di-cloxacillin, Levofloxacian, Sultamicillin के निर्माण के लिये रंगहीन शुद्ध मेथनॉल उपलब्ध कराये जाने हेतु एफ.ए.-4 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-142/दो-प्रा.डी./एपमिडा/2023-24, दिनांक 09-02-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 09-02-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स एपमिडा फार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि., खसरा नं. 331, ग्राम-चिकना, शाहबाद रोड, रामपुर को Ofloxacin, Cloxaxillin, Di-cloxacillin, Levofloxacian, Sultamicillin के निर्माण हेतु प्रति माह 57.60 कि.ली. मासिक तथा 691.20 कि.ली. वार्षिक रंगहीन शुद्ध मेथनॉल के कोटे को उपभोग किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्वाजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2014 के अन्तर्गत समस्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आयात करने वाली कम्पनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवहन के दौरान आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में रंगहीन शुद्ध मेथनॉल को एस्कार्ट कराते हुये सुरक्षित पहुंचाया जाए तथा मार्ग में किसी भी प्रकार से रिसाव न होने पाये। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व आयात करने वाली इकाई का होगा।

(3) आयात करने वाली कम्पनी द्वारा रंगहीन शुद्ध मेथनॉल का परिवहन करने वाले वाहन में डिजी लॉकर मशीन एवं जी.पी.एस. का इंस्टालेशन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं वाहन चालक को मेथनॉल के गुणों से अवगत कराते हुये परिवहन के दौरान एकान्त जगह पर वाहन रोकने से मना किया जायेगा।

(4) सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भीप्रकार से आम जनमानस तक इसकी पहुंच न होने पाये। कंटेनर में स्पष्ट व बड़े शब्दों में चेतावनी लिखा जाना भी आवश्यक होगा।

(5) इकाई द्वारा रंगहीन शुद्ध मेथनॉल के परिवहन करने वाले वाहन चालक कानाम व मोबाइल नम्बर एवं जी.पी.एस. का विवरण परिवहन मार्ग के पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग को उपलब्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कराया जायेगा तथा वाहन के इकाई परिसर में पहुंचने पर सिक्योरिटी पोस्ट पर रोककर इकाई के अधिकारियों एवं आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सील आदि को चेक किया जायेगा। चेक करने के बाद ही मेथनॉल अनलोड किया जायेगा।

(6) यदि किसी भी स्तर पर मेथनॉल में अवैध निकासी एवं जहरीली शराब के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाना पाया जाता है, तो इकाई के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये प्रश्नगत अनुमति समाप्त कर दी जायेगी।

(7) रंगहीन मेथनॉल के दुरुपयोग पर और प्रभावी नियंत्रण रखेजाने हेतु इकाई द्वारा रंगहीन मेथनॉल का उपयोग विभिन्न औषधियों के विनिर्माण में किये जाने के सम्बन्ध में मासिक रिपोर्ट आबकारी आयुक्त, उ.प्र. एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

(8) इकाई द्वारा प्रत्येक माह में प्राप्त किये गये रंगहीन मेथनॉल मात्रा, औषधि के विनिर्माण में प्रयुक्त रंगहीन मेथनॉल की मात्रा, साल्वेण्ट रिकवरी विधि से प्राप्त रंगहीन मेथनॉल की मात्रा, कुल अवशेष रंगहीन मेथनॉल की मात्रा का विवरण आबकारी आयुक्त, उ.प्र. एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

(9) आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त समस्त शर्तों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस की शर्तों का भागबनाया जायेगा।

(10) इस संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिये कोई उल्लेख नहीं किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।